



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-140/CG/9/2021-RO-RPR

दिनांक: 28.05.2024

सेवा में,

श्री रामलाल कुमेटी,
ग्राम - शारदा, पोस्ट - सरखेड़ा,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री दारसुराम मंडावी,
ग्राम - मुंदेली, पोस्ट - सरखेड़ा,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री चैनसाय,
ग्राम - कोड़, पोस्ट - कंदाड़ी,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री कंगलूराम,
ग्राम - चांवरगाँव, पोस्ट - कनेली,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री रामजी तुलावी,
ग्राम एवं पोस्ट - कनेली,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री रमेश कुमार,
ग्राम - खेडेगांव, पोस्ट - तेरेगांव,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

श्री सनकुराम,
ग्राम - कोराचा औंधी (खेडेगांव), पोस्ट - तेरेगांव,
तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.)

विषय: श्री रामलाल कुमेटी, ग्राम - शारदा, पोस्ट - सरखेड़ा, श्री दारसुराम, ग्राम - मुंदेली, पोस्ट - सरखेड़ा, श्री चैनसाय, ग्राम - कोड़, पोस्ट - कंदाड़ी, श्री कंगलूराम, ग्राम - चांवरगाँव, पोस्ट - कनेली, श्री रामजी, ग्राम एवं पोस्ट - कनेली, श्री रमेश कुमार, ग्राम - खेडेगांव, पोस्ट - तेरेगांव, श्री सनकुराम, ग्राम - कोराचा औंधी (खेडेगांव) एवं अन्य अभ्यावेदकगण, तहसील - मानपुर, जिला - राजनांदगाँव (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदनों, "रूढ़ी प्रथा ग्रामों में गौणलघु वनोपज तेंदुपत्ता संग्रहण एवं खरीदी - बिक्री करने बाबत ।"

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 07.06.2024 को अप्राह्ण 03:30 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदय के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।